



निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

दफतर हो।
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल जाकर पत्रवाली खरिज की जाती है। पत्रवाली फौसल शुमार है। अतः पत्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की अंतिम कार्यवाही की जाने का कोई आश्चित्य प्रतीत नहीं होता। मस्यौख हो गया है तो प्ररनात प्रकरण में किसी प्रकार की आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मस्यौख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष न्यायालय राजस्थान बूच जयपुर द्वारा रिटपिठेशन सं. अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेन्स के हक में किया गया किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पत्रोकार सरकार ने उक्त भूमि-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटी रेस्पॉन्डेन्स को भूमि-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रवाली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रवाली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने पत्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्स्तावेजात पेश किये।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में सम्बन्धित भूमि-आवंटन आदेश मस्यौख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्तित आरजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित पिठेशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छौट्टे एवं अन्य वनाम उच्च न्यायालय राजस्थान बूच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नायब लहसीलदार कोटपुलगी) ने उपस्थित होकर प्ररनात होकर लहसीलदार कोटपुलगी की ओर से पत्रोकार सरकार पत्रवाली पेश कियी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लौण्ड

22.11.16

विशेष विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक आज्ञा या कदवाही
-------------	----------------------	------------------------

201/2005
बनाम
कोटपुलगी व/व इजलास

फर्ट अहकाम